न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 119 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मांगाराम पुत्र कोलाराम का.मु.
   1 / 1देवाराम पुत्र मांगाराम
   1 / 2जगदीश पुत्र मांगाराम
   1 / 3डाईदेवी पत्नी मांगाराम
2. रंम्भादेवी पत्नी कोलाराम
   जाति कलबी निवासी भेडाणा
   तहसील गुडामालानी जिला
   बाड़मेर(राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पदमाराम पुत्र राईगा
2.अना पुत्र राईगा
3.रावता पुत्र चुतरा
4.काना पुत्र चुतरा
5.भेरा पुत्र चुतरा
6.श्रीमती तीजो पत्नी चुतरा
7.उदाराम पुत्र धर्माराम का.मु.
7 / 1केवदाराम पुत्र उदाराम
7 / 2गिरधारीराम पुत्र उदाराम
7 / 3टीकमाराम पुत्र उदाराम
7 / 4अमियो पत्नी उदाराम
7 / 5 शंकराराम पुत्र उदाराम का.मु.
7 / 5 / 1 गोदाराम पुत्र शंकराराम
7 / 5 / 2लच्छाराम पुत्र शंकराराम
7 / 5 / 3मीरो पत्नी शंकराराम
8.डूंगराराम पुत्र धर्माराम फौत द्वारा हकतर्क
8 / 1गेनाराम पुत्र डूंगराराम
8 / 2हुकमाराम पुत्र डूंगराराम
9.गंगाराम पुत्र धर्माराम के का.मु.
9 / 1सांवलाराम पुत्र गंगाराम
9 / 2राणाराम पुत्र गंगाराम
9 / 3कानाराम पुत्र गंगाराम
9 / 4भंवरलाल पुत्र गंगाराम
9 / 5दिनेशकुमार पुत्र गंगाराम जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज)
10.मैनेजर बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लि.बालोतरा
11.मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी।
12.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106 / 2015 (136 / 2015) बअनवान पदमा बनाम रावता वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीश चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 02.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 682, 684 व 681 रकबा क्रमशः 79.04 बीघा, 01.13 बीघा व 0.05 बीघा मौजा भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/8 हिस्सा की खातेदारी है तथा 1/8 हिस्सा पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के उपरोक्त हिस्सा की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग कर बंटवाड़ा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नाम से सम्मन जारी किया परन्तु अपीलांट को उक्त प्रकरण का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है जिस कारण अपीलांट न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय/प्राथमिक डिक्री 28.06.2017 को एकपक्षीय पारित कर पत्रावली को अंतिम रूप से निर्णित कर दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलांट ने श्रीमान न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपील संख्या 188/2017 पर दर्ज होकर दिनांक 26.12.2017 को उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की क्रियान्विती पर रोक लगवाई जाकर सुनवाई हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर गये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में व प्राथमिक डिक्री की पालना एवं प्रभाव स्थगित होने के कारण अपीलांट यही समझता रहा कि श्रीमान न्यायालय के निर्णय के बाद ही उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण होगा। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान न्यायालय का स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद भी अंतिम निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किये गये। अंतिम डिक्री जारी होने के कुछ समय बाद उतरदाता संख्या 02 व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जिसका विरोध करने पर अपीलांट को अंतिम डिक्री की जानकारी हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश अपील संख्या 188/2017 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.12.2017 को स्थगन आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की क्रियान्विति को स्थगित किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन की पालना किये बिना ही आलोच्य अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जो अपीलीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.06.2017 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। <u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u> बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 106/2015 (136/2015) बअनवान पदमा बनाम रावता वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.03.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

2/9/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान चारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/9/2020
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner